न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : सौम्या झा (आई०ए०एस०)
अपील संख्या0 APS2012G270326842352 / 26/2026

Web Copy - Not Official

सुगनबाई, निवासी ग्राम बलीन, तहसील महवा, जिला दौसा राज0।
....अपी0

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, महवा।
रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.03.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा

निर्णय

दिनांक 27.04.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम बलीन की मतदाता सूची मे जोडने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S20086V6N1803261200000) प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा द्वारा नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा के उक्त आदेश दिनाक 27.03.2026 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपील के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा से इस न्यायालय के पत्रांक 1160 दिनांक 13.04.2026 चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा के पत्रांक 588 दिनांक 23.04.2026 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में बीएलओ द्वारा अपीलांट के आवेदन को ऑनलाईन संलग्न दस्तावेज की अपलोड फाईल Corrupt File के कारण दस्तावेज स्पष्ट Open नहीं हो रहे थे एवं संलग्न घोषणा पत्र भी अपूर्ण था, जिसके कारण ईआरओ द्वारा अस्वीकार किया गया।

रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा के अनुसार अपीलांट का पुनः नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया गया। जिस पर सभी स्तरों से सत्यापित होने के उपरान्त ई–रोल अपडेट कर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया हैं, मतदाता का पहचान पत्र संख्या TRY1910504 हैं।

जिला कलेक्टर,दौसा

उपरोक्त रिपोर्ट के विवेचन के आधार पर अपीलांट का नाम जोडने का आवेदन प्रपत्र 6 जो कि आवेदन को ऑनलाईन संलग्न दस्तावेज की अपलोड फाईल Corrupt File के कारण दस्तावेज स्पष्ट Open नहीं होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा द्वारा अस्वीकार किया गया। चूंकि अपीलांट का पुनः नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त सभी स्तरों पर जांच उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया हैं। अपीलांट का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने के कारण अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है, निर्णय की प्रति अधीनस्थ कार्यालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27.04.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official